भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3581
उत्तर देने की तारीख 11/08/2025

कासरगोड़ में स्मार्ट कक्षाओं का अभाव

†3581. **श्री राजमोहन उन्नीथन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के कासरगोड जिले के कितने सरकारी विद्यालयों में अभी भी कार्यात्मक स्मार्ट कक्षाएँ या विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध नहीं है;
(ख) क्या ऐसे सीमावर्ती जिलों के लिए कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ब्रिज अनुदान निर्धारित किया गया है; और
(ग) अंतर-सांस्कृतिक क्षेत्रों में छात्रों के लिए मलयालम-कन्नड़ द्विभाषी ई-सामग्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समग्र शिक्षा के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अन्य घटकों के अतिरिक्त स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यूडाइज+ 2023-24 के अनुसार, केरल के 92.13% स्कूलों में इंटरनेट सुविधा है। केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कासरगोड जिले के 43 स्कूलों में अच्छी इंटरनेट की सुविधा नहीं है।

(ख): समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है, और उन्हें वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडबल्यूपीएंडपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन पीएबी द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों संबंधी तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 बहुभाषावाद पर बल देती है और बच्चों के लिए कम से कम कक्षा 5 तक, और अधिमानत: कक्षा 8 तक, शिक्षा का माध्यम गृह/स्थानीय भाषा अथवा मातृभाषा होने का प्रावधान करती है। एनईपी 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, पैरा 4.13 में यह प्रावधान किया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा फार्मूला कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं विद्यार्थियों द्वारा चयनित होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं हों।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में शिक्षा तक बहु-माध्यम पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने वाली पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल की शुरुआत दिनांक 17 मई, 2020 को की गई। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम करने के लिए 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल हैं। दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना) स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। दीक्षा का उपयोग देश भर के शिक्षार्थी और शिक्षक कर सकते हैं और यह वर्तमान में 108 भाषाओं में विषय-वस्तु उपलब्ध कराता है। दीक्षा पर वर्तमान में 403 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें और एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक्स (ईटीबी) सहित क्यूआर कोड से सक्रिय 7,383 पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। दीक्षा पर ऑडियो-विजुअल सामग्री, पठन और अभ्यास सामग्री, इंटरैक्टिव संसाधन और पाठ योजनाओं सहित 3.75 लाख से अधिक डिजिटल सामग्री उपलब्ध है। ये ई-सामग्री 133 भाषाओं (126 भारतीय और 7 विदेशी भाषाओं) में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मलयालम और कन्नड़ में क्रमशः 1,740 और 22,952 ई-सामग्री उपलब्ध हैं।

******